FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

लाखाराम बनाम विरधाराम कोरा

किस्म मुकदमा रा० आवे० 111,128 RTR Act नं. 274/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/09/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RTR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/11/2021 को पेश हो। [signature]	
08/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 31/01/2022 को पेश हो। [signature]	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
31/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवरी [illegible] द्वारा पेश की गई जिसे शामिल [illegible] किया गया। विप्रार्थीगण [illegible] सूचना [illegible] पत्रावली फाइनल [illegible] को पेश हो। [signature]	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 2022 / 55
प्रार्थी

16/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद ~~[illegible]~~ अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत, सेढा सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मांढे व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान करने हेतु नेयमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेयमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की प[illegible] नेयमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना [illegible] प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली [illegible] होकर [illegible] से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 55 दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लाखाराम पुत्र फुसाराम, जाति जाट, निवासी रायचन्दपुरा, पटवार मण्डल सेवनियाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. विरधाराम पुत्र सुखाराम वगैरा 5, जाति जाट, निवासी रायचन्दपुरा, पटवार मण्डल सेवनियाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 274/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रायचन्दपुरा, पटवार मण्डल – सेवनियाला, तहसील – बायतु, जिला– बाडमेर के खेत खसरा नं. 393 रकबा 3.0338 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 16/02/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 56-60

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लाखाराम पुत्र फुसाराम,
4. विप्रार्थी श्री विरधाराम पुत्र सुखाराम वगैरा 5
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested